न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–रूक्मणि रियार सिहाग, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः–05/2022

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

––स्टेट

बनाम

अमीर खां पुत्र अल्लादिता उम्र 29 साल जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 14 जण्डावाली पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ।

––गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः–1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. गैरसायल स्वयं।

निर्णय दिनांकः–01.11.2023

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ द्वारा मार्फत पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल अमीर खां पुत्र अल्लादिता उम्र 29 साल जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 14 जण्डावाली पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। गैरसायल सट्टा की खाईवाली करने का आदि है एवं जवान उम्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो सार्वजनिक स्थान पर सरेआम सट्टा की खाईवाली कर गरीब तबके के लोगों को लालच देकर उनका शोषण करता है। गैरसायल सट्टा की खाईवाली आम जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। यह सट्टे की खाईवाली की अपराधिक गतिविधियां में काफी सक्रिय है। ग्राम जण्डावाली के लोग इससे काफी भयभीत रहते है इसको इस सट्टा की खाईवाली का अवैध धन्धा करने से मना करने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत करने से लोग डरते है। गैरसायल की गांव में आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, सदर हनुमानगढ़ के रिकॉर्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न 5 अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें दो अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	मु. नं. मय दिनांक	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	297/10-11-2020	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
2	154/05-06-2021	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
3	260/09-09-2021	9/11 धुम्रपान प्रतिषेध अधि.	चालान	पैण्डिग कोर्ट
4	189/08-07-2021	13 आरपीजीओ	चालान	पैण्डिग कोर्ट
5	68/18-03-2021	13 आरपीजीओ	चालान	पैण्डिग कोर्ट

गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां के कारण आम जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है जिसका समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल अमीर खां पुत्र अल्लादिता उम्र 29 साल जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 14 जण्डावाली पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल दिनांक 07.04.2022 को स्वयं उपस्थित।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल आज दिनांक 01.11.2023 को स्वयं उपस्थित होकर इस्तगासा में वर्णित जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ द्वारा मेरे विरूद्ध यह इस्तागासा दायर किया गया है जिसमें वर्णित जुर्म धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट व 09/11 धुम्रपान निषेध अधि. को स्वीकार करता हुँ। मुझे जो भी सजा दी जायेगी वो मुझे मंजूर है। मैं उक्त इस्तगासा में वर्णित जुर्म के सम्बन्ध में कोई जवाब व साक्ष्य आदि पेश नहीं करना चाहता। भविष्य में कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। गैरसायल को माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा धारा 13 आर.पी.जी.ओ. व 09/11 धुम्रपान निषेध अधि. के 2 मुकदमों में दोष सिद्ध होने के तथ्य को स्वीकार करने पर सजायाब किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(V) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिभाषा में कवर होता है किन्तु जिला या क्षेत्र से बाहर किये जाने हेतु राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3(क) की शर्त के साथ 3(ख) में वर्णित शर्तो का भी होना जरूरी है अर्थात व्यक्ति के गुण्डा होने के साथ–साथ यह भी जरूरी है कि वह विनिर्दिष्ट अपराध/कृत्य को करने में निरन्तर रत रहे तथा उसके द्वारा की जा रही गतिविधियों से किसी व्यक्ति या सम्पति को खतरा या नुकसान होने की सम्भावना हो।

इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है की गैरसायल के विरुद्ध 5 मुकदमें दर्ज हुए है। इन दो मुकदमों में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। थानाधिकारी सदर हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के साथ संलग्न रोजनामचा के अनुसार दिनांक 06.10.2021 को यह रपट दर्ज की गई है कि गैरसायल अमीर खां पुत्र अल्लादिता जो थाना इलाका क्षैत्र के गांव के मौजिज व्यक्तियों से वार्ता की गई व आमजन की बातों को सुना तो पता चला कि ग्राम का अमीर खां सट्टे की खाईवाली करने का आदतन अपराधी है व विरोध करने वालों के प्रति लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृति रखता है जिस कारण उक्त शख्स के खिलाफ कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करवाने से भयभीत तथा निरन्तर सट्टा जैसी सामाजिक बुराई जैसी का कार्य कर रहा है जिससे गांव में अमीर खां के कारण माहोल खराब हो रहा है। शख्स अमीर खां की आम शोहरत ग्राम जण्डावाली में अच्छी नहीं है, का ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है।

गैरसायल को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिया गया है किन्तु गैरसायल द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर सायल पक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया जा सके। प्रकरण को देखते हुए गैरसायल इस प्रकार के आपराधिक कृत्य को भविष्य में नहीं करेगा, इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। मामले की परिस्थितियों के आधार पर गैरसायल के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार है, गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है।

अतः गैरसायल अमीर खां पुत्र अल्लादिता उम्र 29 साल जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 14 जण्डावाली पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 22 दिवस की अवधि तक जिले से बाहर चले जाने हेतु आदेश दिये जाते है। गैरसायल दिनांक 02.11.2023 को सांय पांच बजे थानाधिकारी पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ को सूचित करते हुए हनुमानगढ़ जिले की सीमा से बाहर चला जावे तथा गैरसायल निष्कासन अवधि में जिस जिले के स्थान पर निवास करेगा उस स्थान के थानाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सूचित

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

करेगा। निष्कासन अवधि समाप्ति पर सम्बन्धित थानाधिकारी को अवगत करवाकर हनुमानगढ जिले में प्रवेश करेगा तथा वापसी पर थानाधिकारी पुलिस थाना, सदर हनुमानगढ़ को सूचित करेगा। सम्बन्धित थानाधिकारी गैरसायल की दैनिक गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखेगा। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, सदर हनुमानगढ़ को पालना हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 01.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)आई.ए.एस.
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official